बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2015 27 पटना, दिनांक- 25.10.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषयः- **मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न कार्यो के सफल क्रियान्वयन के निमित वित्तीय वर्ष 2017-18 में `31,04,740/-(एकतीस लाख चार हजार सात सौ चालीस रूपये) का आबंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या- 1352 दिनांक 04.07.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-सगग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अर्न्तगत आवंटित की जा रही है, जिसका गांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट

उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. आवंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1352 दिनांक 04.07.2017 के विवरणी-I विषय शीर्ष 26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद् से जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रति आम नागरिकों की जागरूकता में वृद्धि करने हेतु दूरदर्शन से प्रचार-प्रसार के निमित निदेशालय स्तर पर एवं जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर कैलेण्डर/पोस्टर/स्टीकर आदि माध्यमों से प्रचार-प्रसार के निमित्त नियमानुसार व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन

23/X/17   23.10.17   24/10/17

बजट सहायक   प्रशाखा पदा0   सहायक निदेशक   निदेशक

ज्ञापांक- 27   दिनांक- 24.10.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/10/17

निदेशक

ज्ञापांक- 27   दिनांक- 24.10.17

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं
2. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/10/17

निदेशक

ज्ञापांक- 27   दिनांक- 24.10.17

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. वरीय संयुक्त निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/ सभी उप निदेशक/ सहायक निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा प्रसाद, आई0टी0मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करना/कराना सुनिश्चित करें।

24/10/17

निदेशक

23/X/17